

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0- भवन/भू-सम्पदा-09-02(अराजपत्रित)-01/2024 71

पटना, दिनांक- 30/7/25

‘कार्यालय आदेश’

विभागीय पत्रांक-6249(भ), दिनांक-04.07.2025 द्वारा ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के कार्यालय भवन निर्माण हेतु आवास सं0-NFT-1, NFT-2, C3 एवं C4, आर ब्लॉक, पटना का संपूर्ण आवासीय परिसर ग्रामीण विकास विभाग को आवंटित किया गया है।

2. अतः आवास आवंटन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पटना केन्द्रीय पूल का आवास सं0-C3 एवं C4, आर ब्लॉक, पटना में आवासित निम्नांकित पदाधिकारी/कर्मियों को निम्नरूपेण परिवर्तित आवास आवंटित किया जाता है :-

क्र0	नाम/पदनाम/विभाग	पूर्व आवंटित आवास	नवआवंटित आवास
1.	श्री प्रभात कुमार, अवर सचिव, सहकारिता विभाग	C3, आर ब्लॉक	C6/105, C टाईप, गर्दनीबाग
2.	श्री सुबोध कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक, केन्द्रीय पथ अंचल	C4, आर ब्लॉक	A2/416, A टाईप, गर्दनीबाग

3. नये आवंटि पदाधिकारी/कर्मचारी कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमंडल, पटना से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
4. स्थानान्तरण या अन्य कारणों से पटना स्थित पात्र कार्यालय में पदस्थापन की अवधि समाप्त होने पर उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जाएगा और उनसे सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-11(2) में विहित प्रावधानों के अनुसार मानक किराया/दण्ड किराया लिया जाएगा तथा नियमानुसार निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी।
5. पटना से बाहर स्थानान्तरण के उपरांत आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि मात्र 1 (एक) माह है। उक्त अवधि के पश्चात मानक किराया का 30 गुना प्रति माह की दर से दण्ड किराया वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की भी कार्रवाई की जायेगी।
6. भवन निर्माण विभाग के पूर्व लिखित अनुमति लिए बिना आवासी द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा। यदि कोई पदाधिकारी/कर्मचारी आवास के किसी भी भाग में अनधिकृत रूप से कोई निर्माण कार्य करे ; अथवा आवास का या उसके किसी भाग का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करे जिस प्रयोजन के लिए वह नहीं बना है, तो आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-22 के तहत भवन सचिव आवास का आवंटन रद्द कर सकेंगे तथा संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।
7. सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।
8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(शिव रंजन)

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांक:-भवन/भू-सम्पदा-09-02(अराजपत्रित)-01/2024-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता(पटना)/ कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम भवन प्रमण्डल, दानापुर/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमण्डल/विद्युत कार्य प्रमण्डल सं0-1 एवं 03/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/निदेशक (तकनीकी), एन.आई.सी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।

ज्ञापांक:-भवन/भू-सम्पदा-09-02(अराजपत्रित)-01/2024-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-श्री प्रभात कुमार, अवर सचिव, सहकारिता विभाग, आवास सं0- C3, आर ब्लॉक/श्री सुबोध कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक, केन्द्रीय पथ अंचल, आवास सं0- C4, आर ब्लॉक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशित किया जाता है कि 30 दिनों के अंदर आर ब्लॉक, पटना में आवंटित आवास रिक्त कर दें।

ह0/-

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।

ज्ञापांक:-भवन/भू-सम्पदा-09-02(अराजपत्रित)-01/2024-7098(n) पटना, दिनांक:- 30/11/24

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।